कार्यालय अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा, बोकारो
विविध वाद सं० 33 / 2024-25
बाबुलाल महतो वगै० बनाम अंचल अधिकारी, चन्द्रपुरा

तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	टिप्पणी
23/12/24	आवेदक बाबुलाल महतो पिता-स्व० भीम महतो वगैरह साकिन-घटियारी, थाना-चन्द्रपुरा, जिला-बोकारो द्वारा आवेदन देकर सूचित किया गया है कि मौजा-घटियारी अन्तर्गत खाता सं० 20, प्लॉट सं० 177 रकबा 20 डी० एवं प्लॉट सं० 175 रकबा 30 डी० कुल 50 डी० केवाला द्वारा खरीदगी भूमि है, जिसका दाखिल-खारिज होकर वर्ष 2015-16 तक ऑफलाईन लगान रसीद निर्गत है। उन्होंने उक्त खरीदगी भूमि का ऑनलाईन पंजी-II में दर्ज कराने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के आवेदन के आलोक राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया जो आवेदन में ही अंकित है। प्रतिवेदन के अनुसार खाता नं० 20, प्लॉट नं० 177 रकबा 0.20 एकड़ एवं प्लॉट नं०-175 रकबा 0.30 एकड़ कुल 0.50 एकड़ रैयती खाते की है, जिसकी जमाबंदी मौजा-घटियारी के पंजी II के पृष्ठ सं० 12/VI में दर्ज है। लगान रसीद 2015-16 तक दर्ज है।	

राजस्व उप निरीक्षक - सह - प्रभारी अंचल निरीक्षक द्वारा ऑनलाईन पंजी II पर ~~...~~ जमाबंदी दर्ज करने का अनुशंसा किया गया है।

आवेदकों को उक्त स्थिति से लिखित राजस्व कागजात मूल प्रति के साथ दिनांक 03/01/25 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होने हेतु सूचित करें।

अभिलेख दिनांक 03/01/25 को (पेश)

अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा

03/01/25 अभिलेख उपस्थापित

आवेदक जदु महतो एवं डीलू महतो उपस्थित। आवेदक गण द्वारा केवाला सं० 5598 दिनांक 12/05/2010 प्रस्तुत किया गया। उक्त केवाला मे क्रेता ① श्री बाबूलाल महतो ② श्री यदु महतो ③ श्री डिलु महतो पिता स्व० भीम महतो ④ श्री बैजनाथ महतो पिता स्व० पुरन महतो के द्वारा मौजा - धरियारी के अन्दर खाता सं० - 20 प्लॉट 177 रकबा 20 डी०, तथा प्लॉट सं० 175 रकबा - 30 डी० भूमि विक्रेता श्री सती सिंह पिता - स्व० कुंदन सिंह ~~...~~ से खरीदगी प्राप्त है।

उक्त भूमि का दा० खा० वाद सं० 32/2015-16 से दा० खा० होकर ऑफलाइन (भौतिक) जमाबन्दी पंजी-II के पृष्ठ सं०-12/VI पर जमाबन्दी कायम होकर वर्ष 2015-16 तक लगान रसीद निर्गत है, पंजी-II की छायाप्रति अभिलेख के साथ संलग्न है। Online जमाबन्दी पंजी-II की जाँच की गई। Online जमाबन्दी पंजी-II में उक्त भूमि का जमाबन्दी नहीं पाया गया। आवेदकगण द्वारा आवेदित भूमि का online जमाबन्दी दर्ज कर लगान रसीद निर्गत करने हेतु अनुरोध किया है तथा उक्त आवेदन पत्र पर रा० उप० निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा प्राप्त है।

अतः उपरोक्त तथ्यों तथा अनुशंसा के आलोक में उपरोक्त वर्णित भूमि का online जमाबन्दी दर्ज करते हुए लगान रसीद निर्गत करने का आदेश पारित किया जाता है। अतः इस अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

08/01/25
अंचल अधिकारी
चन्द्रपुरा।

Digitally signed by Naresh Kumar Verma
Date: 2025.01.09 11:23:03 +05:30
Location: 192.168.1.34